



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म (भाग-दो)

परमिट संख्या 1282/सी.आर.सी. 12/10-11

दिनांक 17-10-11

सेवा में,

श्री/श्रीमती मित्रम ह्यादगांग पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निदेशक - स्न. आर.सी. होजानन
निवासी गुरुजी 0 सी. आर. माण रामनगर कालोनी आगरा

भवन मानचित्र स्वीकृति की शर्तें

निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही जारी की जा रही है।

- (क) किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुरूप अर्ह स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा।
- (ख) निर्माण का सुपरवीजन भी अर्ह वास्तुविद् की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा। ताकि सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।
 1. भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता, जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएँ करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गई है, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
 2. भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्रियों सीमेंट, स्टील, स्टोनग्रिट, ईट कोस सैण्ड एवं गार्टर तथा कान्क्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी, की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक एवं रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहें ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
 3. निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतन्त्र एक्सपर्ट द्वारा ही कराया जायेगा। क्रेता/आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- (ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे और तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- (घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 3 फुट X 4 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा, जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्कीटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यस्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेगा।
 - (1) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
 - (2) अनुमोदित प्रयोगशाला संस्थान द्वारा की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।
 - (3) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चरल की गणनाएँ एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।
 - (4) अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त समस्त बर्किंग डिजाइन जिसमें सेक्शन एवम् एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।
 - (5) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी0 एण्ड पी0 का विवरण।
 - (6) साइट इंजीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।
 - (7) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवम् सम्बन्धित रजिस्टर।
- (ङ) मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा पी0 डब्ल्यू0 डी0, नगर निगम, नजूल एवम् अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्रों में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

संलग्न : स्वीकृति मानचित्र

1282/SEFS/12/10-11

संख्या तददिनांक

भवदीय
प्रमुख निरीक्षण
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि- 1 - कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम आगरा को सूचनाार्थ।

2 - सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनाार्थ।

3 - मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0 दिनांक के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित कराये।

आगरा विकास प्राधिकरण

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री राजकुमार,
डायरेक्टर-एच0आर0सी0 होलीजोन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0
खसरा संख्या-101 एवं 102, मौजा कलवारी,
बिचपुरी रोड, शाहगंज-वार्ड, आगरा

विषय:-वाद संख्या-N.F.S/V.C./30/2014-15 की शमन धनराशि जमा कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त वाद विषयक आपके शमन प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.05.2017 के क्रम में सूचित किया जाता है कि आप द्वारा खसरा सं0-101 व 102, मौजा कलवारी, बिचपुरी रोड, शाहगंज-वार्ड, आगरा पर प्रस्तुत शमन मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न प्रतिबन्ध/शर्तों के साथ दि0 28.03.17 को शमन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

प्रतिबन्ध/शर्त :-

1. भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद-विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. भूखण्ड के खुले भाग पर नियमानुसार वृक्ष लगाने अनिवार्य होंगे।
3. मानचित्र स्वीकृति के समय अंकित प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे, यदि किसी कारण से स्वीकृत मानचित्र अस्वीकृत किया जाता है, तो दी गयी शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
4. स्थल का उपयोग शमन मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा, अन्यथा की दशा में मानचित्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्णतः स्वतन्त्र होगा।
5. अग्नि-शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थल पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को क्रियाशील करने के उपरान्त ही उसके मद में मानचित्र स्वीकृति के समय प्राधिकरण में जमा धनराशि को अवमुक्त किया जा सकेगा।
7. भवन का उपयोग करने से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
8. नियम-5.2 के अन्तर्गत आरोपित शमन शुल्क तथा नियम-07 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर किये गये व्यय की वसूली उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-40 के अन्तर्गत की जायेगी।
9. निर्माणकर्ता द्वारा बिन्दु संख्या-07 के तहत कार्यवाही न करने पर प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत किसी भी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है, जिसके लिये निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी रहेगा तथा प्राधिकरण अशमनीय निर्माण को ध्वस्त करने के लिये स्वतन्त्र रहेगा, जिसका हर्जा-खर्चा निर्माणकर्ता स्वयं वहन करेगा।
10. निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं ध्वस्त किये गये भाग से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी संलग्न भवन अथवा जन को कोई हानि पहुंचती है, तो निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. निर्माणकर्ता को नियमानुसार बेसमेन्ट में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
12. आरोपित शमन धनराशि निर्धारित समय में प्राधिकरण कोश में जमा करानी होगी, अन्यथा की स्थिति में दण्ड ब्याज 18 % की दर से देय होगा।
13. मानचित्र निर्गत करने से पूर्व भवन निर्माण के लागत की 1 % धनराशि लेबर सेस के रूप में जमा कराकर उसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर आगणित कुल शमन धनराशि **रु0 23,25,000/- (रुपये तेईस लाख, पच्चीस हजार मात्र)** प्राधिकरण कोश में जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि शमन सम्बन्धी शेष कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जा सके।

भवदीय,

